

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र

Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-13102022-239613
SG-DL-E-13102022-239613असाधारण
EXTRAORDINARYप्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 452]	दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 12, 2022/आश्विन 20, 1944	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 288
No. 452]	DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 12, 2022/ASVINA 20, 1944	[N. C. T. D. No. 288

भाग IV PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

वित्त (व्यय-1) विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 12 अक्टूबर, 2022

सं. 13/2022-राज्य कर

सं. फा. 03(22)/ वित्त (व्यय-1)/2022-23/डीएस- I/818.—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, एकीकृत माल और सेवाकर अधिनियम 2017 (2017 का 13) की धारा 20 और संघ राज्य क्षेत्र माल और सेवाकर अधिनियम 2017(2017 का 14) की धारा 21 के साथ पठित दिल्ली माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 03) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 168क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर, इस सरकार की अधिसूचना संख्या 35/2020-राज्य कर, तारीख 24 मार्च, 2021 जो संख्यांक सं.फा. 03 (84)/वित्त (व्यय-IV)/2020-21/डीएस-IV/288, तारीख 24 मार्च, 2021 द्वारा दिल्ली के राजपत्र, असाधारण, भाग-IV में प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना सं. 14/2021-राज्य कर तारीख 17 नवम्बर, 2021, जो संख्यांक सं.फा. 03(115)/वित्त (व्यय-1)/2021-22/डीएस-I/313, तारीख 17 नवम्बर, 2021 द्वारा दिल्ली के राजपत्र, असाधारण, भाग-IV में प्रकाशित की गई थी का आंशिक उपांतरण करते हुए,—

(i) संदत्त न किए गए कर या कम संदत्त कर या गलत रूप से लाभ उठाए गए या उपयोग किए गए प्रत्यय इनपुट की वसूली के लिए वित्तीय वर्ष 2017-2018 के लिए कर की अवधि के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 73 की उपधारा (9) के अधीन आदेश जारी करने के लिए धारा 73 की उपधारा (10) के अधीन विनिर्दिष्ट समय सीमा का 30 सितम्बर, 2023 तक विस्तार करते हैं;

(ii) गलत प्रतिदाय की वसूली के लिए उक्त अधिनियम की धारा 73 की उपधारा (9) के अधीन आदेश जारी करने के लिए उक्त अधिनियम की धारा 73 की उपधारा (10) के अधीन परिसीमा अवधि की संगणना के लिए 1 मार्च 2020 से 28 फरवरी 2022 तक की अवधि को उपवर्जित करते हैं।

(iii) उक्त अधिनियम की धारा 54 या धारा 55 के अधीन प्रतिदाय आवेदन दाखिल करने के लिए परिसीमा की अवधि की संगणना करने में 1 मार्च 2020 से 28 फरवरी 2022 तक की अवधि को उपवर्जित करते हैं।

2. यह अधिसूचना 1 मार्च 2020 से प्रवृत्त समझी जाएगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

रविन्द्र कुमार, उप सचिव (व्यय-1)

FINANCE (EXPENDITURE-I) DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 12th October, 2022

No. 13/2022-State Tax

No. F. 3 (22)/Fin.(Exp-I)/2022-23/DS-I/818.—In exercise of the powers conferred by section 168A of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (3 of 2017) (hereinafter referred to as the said Act) read with section 20 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017) and section 21 of the Union Territory Goods and Services Tax Act, 2017 (14 of 2017) and in partial modification of this Government's Notification No. 35/2020-State Tax, dated the 24th March 2021, published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, vide number F.3(84)/Fin(Exp-IV)/2020-21/DS-IV/288, dated the 24th March 2021, and No.14/2021-State Tax, dated the 17th November, 2021, published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, vide number F.3(115)/Fin(Exp-I)/2021-22/DS-I/313, dated the 17th November, 2021, the Lieutenant Governor of National Capital Territory of Delhi on the recommendations of the Council, hereby,-

(i) extends the time limit specified under sub-section (10) of section 73 for issuance of order under subsection (9) of section 73 of the said Act, for recovery of tax not paid or short paid or of input tax credit wrongly availed or utilized, in respect of a tax period for the financial year 2017-18, up to the 30th day of September, 2023;

(ii) excludes the period from the 1st day of March, 2020 to the 28th day of February, 2022 for computation of period of limitation under sub-section (10) of section 73 of the said Act for issuance of order under subsection (9) of section 73 of the said Act, for recovery of erroneous refund;

(iii) excludes the period from the 1st day of March, 2020 to the 28th day of February, 2022 for computation of period of limitation for filing refund application under section 54 or section 55 of the said Act.

2. This notification shall be deemed to have come into force with effect from the 1st day of March, 2020.

By Order and in the Name of the
Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

RAVINDER KUMAR, Dy. Secy. (Exp-I)